कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, हाथरस।

पत्रांकः सी0– /जि0का0अधि0/आ0बा0स्था0/विज्ञप्ति/2025–26/दिनांकः 19 नवम्बर,2025

विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्याः 1/1092245/2025/3313/58–1–2025(1917687) दिनांकः 17.09.2025 में वर्णित व्यवस्थानुसार जनपद हाथरस के नगर पालिका परिक्षेत्र (शहर क्षेत्र) एवं ग्रामीण परिक्षेत्रों में संचालित बाल विकास परियोजनाओं में स्वीकृत मानदेय आधारित आंगनबाडी सहायिकाओं के सापेक्ष रिक्त पदो पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जाते है। रिक्त आंगनबाडी केन्द्रों पर आंगनबाडी सहायिका के पदों का केन्द्रवार आरक्षण विभागीय वेबसाइटःhttp://upanganwadibharti.in पर प्रदर्शित होगा तथा ऑनलाइन आवेदन किया जायेगा। रिक्त पदों का विवरण बाल विकास परियोजनावार निम्नवत् हैः–

क्र0सं0	परियोजना का नाम	आंगनबाडी सहायिका के रिक्त पद	अनारक्षित पद	अन्य पिछड़ावर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1	हाथरस–शहर	69	35	18	16	0
2	हाथरस– ग्रामीण	98	54	24	20	0
3	हसायन	56	29	16	11	0
4	मुरसान	86	47	24	15	0
5	सादाबाद	119	68	26	25	0
6	सासनी	97	45	32	20	0
7	सहपऊ	45	26	10	9	0
8	सिकन्दराराऊ	110	58	27	25	0
कुल योगः–		680	362	177	141	0

उपरोक्त पदों पर ग्राम सभा/वार्ड वाररिक्तियों एवं आरक्षण का पूर्ण विवरण जनपद के कलेक्ट्रेट, विकास भवन, तहसील परिषर एवं विकास खण्ड इत्यादि कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जायेगा, साथ ही विभागीय वेबसाईट http://upanganwadibharti.in पर अपलोड किया जायेगा।

विज्ञप्ति पदों की अर्हता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु विशेष निर्देशः–

- आंगनबाडी सहायिका पदों पर केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होगी।
- आंगनबाडी सहायिका के रिक्त पदों हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट या उसके समकक्ष होगी।
- आंगनबाडी सहायिका के रिक्त पदों पर आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होगी। आयु के संबंध में हाईस्कूल अंकतालिका एवं प्रमाण–पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी तथा आंगनबाडी सहायिका के रिक्त पदों पर आवेदन करने की अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष की कट ऑफ दिनांकः 01.07.2025 होगी।
- आंगनबाडी सहायिका के रिक्त पदों पर आवेदन करने हेतु उसी वार्ड/ग्रामसभा का निवासी होना अनिवार्य है, यदि उसी ग्राम सभा में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर संबंधित न्याय पंचायतमें से पात्र अभ्यर्थी का चयन किया जायेगा।
- विज्ञप्ति पदों हेतु केवल विभागीय वेबसाइट http://upanganwadibharti.in पर ऑनलाइन आवेदन पर फार्म निर्धारित समयावधि के अन्दर ही स्वीकार होगे। आवदेन पत्र विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध

जिला कार्यक्रम अधिकारी
हाथरस

फार्मेट पर ऑनलाइन व सही–सही सावधानी पूर्वक भरे जायेगें। आवेदिका द्वारा अभिलेखों की स्व–हस्ताक्षरित प्रति जो स्वच्छ व पठनीय हो, अपलोड की जायेगी, जिनका उल्लेख उनके द्वारा ऑनलाइन फार्म में किया गया होगा। यदि आवेदन करने में कोई त्रुटि होती है या कोई तथ्य/आंकड़े/शैक्षिक अभिलेखों के प्राप्तांक/पूर्णांक गलत या कूटरचित पाए जाएंगे, तो अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा कोई भी आवेदन या अभिलेख/प्रपत्र ऑफलाइन या डाक द्वारा मान्य नहीं होंगे।

- उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा, विधिक तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला।
- विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार का अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा/वार्ड(शहरी क्षेत्रों में) की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाएं।
- यदि उपरोक्तनुसार कोई अभ्यर्थी न मिलने की स्थिति में उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों मे) की निवासी गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला, विधिक तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला।
- विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार का अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्रामसभा/वार्ड की गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाएं।
- उसी ग्राम सभा मे उपरोक्त किसी भी श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर संबंधित न्याय पंचायत में से उपरोक्तानुसार श्रेणीवार चयन किया जायेगा।
- विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी/सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण–पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल मान्य होगी एवं तलाकशुदा/परित्यक्ता के संबंध में मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश मान्य होगें।
- गरीबी रेखा की आय सीमा का पुनर्निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में समाज कल्याण अनुभाग–9 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्याः 3959/1–9–11–रा0–9 दिनांकः 30.09.2011 के क्रम में सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण–पत्र ही मान्य होगें, जिनका ऑनलाइन सत्यापन सम्भव हो तथा गरीबी रेखा की आय सीमा का पुन निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में समाज कल्याण अनुभाग–2 उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश में उल्लेखित ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा हेतु निर्धारित आय सीमा का अनुपालन किया जायेगा।
- निवास व जाति प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में तहसील से ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास व जाति प्रमाण–पत्र ही मान्य होगे, जिनका ऑनलाइन सत्यापन सम्भव हों।
- आंगनबाडी सहायिका की नियुक्ति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ावर्ग से सम्बन्धित शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा।
- जो पद जिस श्रेणी हेतु आरक्षित है, उसी श्रेणी के आवेदन मान्य होंगे। अनारक्षित श्रेणी के पदों पर किसी भी जाति के आवेदन स्वीकार किये जा सकेगें।
- आंगनबाडी सहायिका के रिक्त पदों पर आवेदन करने की **अन्तिम तिथिः 11.12.2025 तक मध्य रात्रि 12:00 बजे तक होगी।**

नोटः– रिक्तियों की संख्या घट–बढ़ सकती है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
हाथरस

(धीरेन्द्र कुमार उपाध्याय)
जिला कार्यक्रम अधिकारी,
हाथरस।

पृष्ठांकन संख्या:सी0– 785/ तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित अधिकारीगण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

1. निदेशक महोदया, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, हाथरस।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, हाथरस।
4. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, जनपद–हाथरस को इस निर्देश के साथ कि वह सम्बन्धित समस्त तहसील परिषर एवं विकास खण्ड के समस्त कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर केन्द्रवार आरक्षण सूची के साथ चस्पा करें।
5. जिला सूचना अधिकारी, हाथरस को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह एक लोकप्रिय राष्ट्रीय समाचार–पत्र एवं स्थानीय एक समाचार–पत्र, जिला–हाथरस के हाथरस स्थानीय पृष्ठ पर न्यूनतम दर व साइज में विज्ञप्ति प्रकाशन करवाते हुए भुगतान हेतु दर प्रमाणित करते हुए प्रकाशित समाचार–पत्र के पृष्ठ संलग्न कर बिल अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

जिला कार्यक्रम अधिकारी,
हाथरस।